

# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या

मैनुअल नं.103/प्रा.पत्र/2024

( GCMS No. 2024 / 155 )

प्रविष्टि दिनांक

18.09.2024

निर्णय दिनांक

23.09.2025

राजस्थान सरकार जरिये

तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी



## बनाम

- भैरिया वल्द धूला जाति भील निवासी राजपुरा, तहसील तालेडा  
( मृतक जयें कायम मुकाम ) –
  - 1/1. रामकिशन पुत्र भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा
  - 1/2. कालीबाई बेवा भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा
  - 1/3. मीरा पुत्री भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा
  - 1/4. बदाम पुत्री भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा
  - 1/5. फूला पुत्री भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा
  - 1/6. शान्ति पुत्री भैरया, जाति भील निवासी राजपुरा, तह.तालेडा

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956  
( कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम,1970 )

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

## निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी धूला वल्द नन्दा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 27 रकबा 0.4209 हैक्टेयर वाकेग्राम नरोली का आवंटन निरस्त किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।


जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 103/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/155 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अप्रार्थी भैरिया के फोटो हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट भू.अ. /25/2558 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार मृतक आवंटी के वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से दिनांक 01.09.2025 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस परोकार सरकार सुनी गयी।

परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर मौके पर कब्जा काशत नहीं है, मौके पर उक्त भूमि पर खान से निकलने वाले रलाव (खनन मलबा) पड़ा हुआ है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस परोकार सरकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि धूला वल्द नन्दा कौम भील निवासी नरौली को भूमि खसरा सं. 27 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकेग्राम नरौली का आवंटन किया गया था। ग्राम नरौली की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 27 रकबा 0.4209 हैक्टेयर पर भैरिया वल्द धूला गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी तथा उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत यहां पेश किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है" अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध संयुक्त मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी अनुसार उक्त भूमि पर आवंटी के वारिसानों का कब्जा काशत नहीं है तथा मौके पर भूमि पर पत्थर कचरा रलाव (खनन मलबा) पड़ा हुआ है। जिससे कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त भूमि पर गैर खातेदार का कब्जा काशत नहीं होना प्रमाणित होता है।

  
जिला इन्सपेक्टर, बून्दी



यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। प्रकरण में आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने तथा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर खान से निकला पत्थर कचरा रलाव (खनन मलबा) पड़ा होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है। अप्रार्थीगण ग्राम नरोली में निवास नहीं करते हैं अपितु लगभग 40-50 वर्षों से ग्राम राजपुरा में निवास कर रहे हैं। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से ऐसा प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने के इच्छुक नहीं है। जिससे उक्त आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी धूला वल्द नन्दा कौम भील निवासी नरोली को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 27 रकबा 0.4209 हैक्टेयर वाकेग्राम नरोली एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)  
जिला कुवर्टर, भून्दी  
जिला कुवर्टर भून्दी